निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या **58** वर्ष **2016-17**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम सिंह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम सिंह नगर के माह 04.2012 से 07.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 04.08.2017 से 09.08.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2). **(i).** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम सिंह नगर के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जसपुर विकासखण्ड आता है । चिकित्सालय में आये रोगियों को समुचित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करवाना चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम सिंह नगर के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है ।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि
2012-13	135.80	135.80	256.68	256.68
2013-14	215.20	182.33	360.09	348.29
2014-15	410.74	401.90	214.43	197.13
2015-16	435.84	435.84	202.20	202.20
2016-17	487.06	423.13	223.63	194.11

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष			
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया	लागू नही	लागू नही	लागू नही
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अ धक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2012-13	--	--	--	--	--	--
2013-14	--	--	--	--	--	--
2014-15	--	--	--	--	--	--
2015-16	--	--	--	--	--	--
2016-17	--	--	--	--	--	--

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना एवं जिला योजना द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a).प्रमुख स चव, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

b).महानिदेशक- च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून

c).निदेशक, च कत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखंड, नैनीताल

d). मुख्य च कत्सा अ धकारी

e). अतिरिक्त मुख्य च कत्सा अ धकारी

f). प्रभारी च कत्सा अ धकारी

g). च कत्सा अधीक्षक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा वधः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2012 से 07.2017 तक की अवध को आच्छादित करते हुए कार्यालय चकत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर के लेखा-अभलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चकत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07.2012, 06.2015 एवं 04.2016 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अधकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संवधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2 (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- **1 :-** धनरा श रु **3.35** करोड़ के भुगतान हुये वाउचरों को न तो उपलब्ध कराया जाना एवं न ही इसकी प्र वष्टि रोकड़-बही में कया जाना ।

शासन के पत्रांक सं व. 3/ गगअपप ;6)/ 2013ए दिनांक 02 जनवरी 2013 के बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार श्आहरण एवं सं वतरण अ धकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनरा श सम्बं धत के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के ववरण का प्रंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बं धत अ भलेखों दृ यथा 11 सी पंजिकाए कैशबुकए बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्र वष्टि यथा स्थान पर करेंगे ' इसके अतिरिक्त, Form BM- 05 में DDO द्वारा सम्बं धत माह में कये गये लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से व र्णत है क ""Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me'' and ''Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement.''

कार्यालय च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर की रोकड़.बही की नमूना जाँच में पाया गया क व्यय की वस्तृत जांच हेतु चयनित माहों 07ण2012ए 06ण2015 एवं 04.2016 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त Form BM- 5 के कुल रू 121ए37ए304 . 111ए56ए616 . 102ए31ए135 त्र रु 335ए25ए055ध् की आहरित सकल धनरा श (ळतवे ।उवनदज) को रोकड़-बही में नहीं दर्शाया गया था एवं माह 09.2014 के पश्चात रोकड़-बही में प्र वष्टियाँ की ही नहीं गई थी । आगे, उक्त धनरा श रु 335,25,055/- के भुगतान हुये वाउचरों को भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया जा सका, जिसके कारण उक्त व्यय को लेखापरीक्षा में सत्या पत नहीं कया जा सका ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर च कत्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क भ वष्य में अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी एवं धनरा श रु 335,25,055/- के भुगतान हुये वाउचरों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध न करवा पाने के सम्बन्ध में कहा क भ वष्य में बिल ट्रेजरी को भेजने से पूर्व फोटोकॉपी कार्यालय में रख ली जायेगी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क शासन के पत्रांक सं व. 3/ गगअपप;6)/ 2013ए दिनांक 02 जनवरी 2013 के दिशा-निर्देश का उलंघन कया गया था एवं भुगतान हुये वाउचरों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था ।

अतः धनरा श रु 3.35 करोड़ के भुगतान हुये वाउचरों को उपलब्ध न कराये जाने एवं इसकी प्र वष्टि रोकड़-बही में न कये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर- **2 :-** यूजर चार्जेज एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त धनरा शयों रु 49.90 लाख का शासनादेश एवं नियमों का उलंघन करते हुये अनिय मत क्रयान्वयन ।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं - 236/ च. -2/- 2003- 42 / 2003, दिनांक- 24.03.2003 मे स्पष्ट व र्णत है क यूजर चार्जेज के रूप मे मलने वाली धनरा श में से 50 प्रतिशत धनरा श चालान के माध्यम से कोषागार में एवं 50 प्रतिशत धनरा श च कत्सा प्रबंधन स मति के बैंक खाते में जमा की जाएगी । आगे, वत्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के अनुसार स्पष्ट व र्णत है क "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank".

कार्यालय च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर की च कत्सा प्रबन्धन स मति की लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क यूजर चार्जेज के रूप मे प्राप्त धनरा शयों को नियमानुसार कोषागार में यथाशीघ्र जमा नहीं कया जा रहा था, यूजर चार्जेज को माह समाप्ति के बाद कोषागार में एक बार में जमा कया जा रहा था । यूजर चार्जेज़ रजिस्टर 2012-13 से 2017-18 (जुलाई 2017 तक) के संवीक्षा के दौरान निम्न ल खत ववरण पाया गया :-

(रु में)

माह	यूजर चार्जेज के रूप मे प्राप्त कुल धनरा श **(as per user charges register)**	कोषागार मे चालान के माध्यम से जमा धनरा श	बैंक खाता में जमा धनरा श	**Amount of Receipt other than user charges (deposited in CPS bank A/c)**
04.2012	59134	39756	20379	0
05.2012	70420	47123	47124	0
06.2012	77180	52600	52601	0
07.2017	69462	44828	44828	0
08.2012	55993	27996	27992	0
09.2012	77811	47694	88695	0
10.2012	51082	25541	25541	0
11.2012	46668	23334	23334	0
12.2012	38637	19318	19319	0
01.2013	49268	24634	24634	0
02.2013	60562	60562	105346	0
03.2013	93206	66415	21631	0
04.2013	69817	45858	45858	0
05.2013	71141	35570	35571	0
06.2013	63790	31895	31895	0
07.2013	76987	38493	38494	0

08.2013	88120	88120	105440	0
09.2013	98867	54593	44274	0
10.2013	74787	74787	108549	0
11.2013	61296	47529	13767	0
12.2013	60586	30293	30293	0
01.2014	66297	33148	33149	0
02.2014	75658	75658	93011	0
03.2014	88688	53020	35668	0
04.2014	98406	49203	49203	0
05.2014	98428	49214	49214	0
06.2014	75644	37822	37822	0
07.2014	80409	40204	40205	0
08.2014	87757	43878	43879	0
09.2014	93694	46847	46847	0
10.2014	70159	35079	35080	0
11.2014	70475	35237	35238	0
12.2014	76981	38490	38491	0
01.2015	53260	26630	26630	0
02.2015	65490	32745	32745	0
03.2015	59240	29620	29620	0
04.2015	68300	34150	34150	0
05.2015	80853	40426	40427	0
06.2015	70151	35075	35076	0
07.2015	55405	27702	27703	0
08.2015	58599	29299	29300	0
09.2015	93101	46550	46551	0
10.2015	68679	34339	34340	0
11.2015	46086	23043	23043	0
12.2015	56911	28455	28456	0
01.2016	65844	32922	32922	0
02.2016	64032	32016	32016	0
03.2016	61428	30714	30714	0
04.2016	51070	25535	25535	0
05.2016	51211	25605	25606	0
06.2016	52191	26095	26096	0
07.2016	68572	34286	34286	0
08.2016	86595	43297	43298	15300
09.2016	78119	39059	39060	0
10.2016	64099	32049	32050	0
11.2016	50461	0	50461	0

12.2016	41685	41686	0	0
01.2017	60805	34790	26015	0
02.2017	57995	28998	28997	0
03.2017	68427	34213	34214	3750
04.2017	67560	33780	33780	0
05.2017	81792	40896	40896	0
06.2017	76470	38235	38235	0
07.2017	71220	35610	35610	17300
Total =	**43,93,061**	**24,62,559**	**24,91,204**	**36,350**

a). कोषागार में चालान के माध्यम से जमा धनरा श रु 24,62,559/- एवं च कत्सा प्रबन्धन स मति के बैंक खाता में जमा धनरा श 24,91,204/- था । यह दोनों धनरा शयाँ नियमानुसार बराबर- बराबर नहीं पायी गयी । इस प्रकार उपरोक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं - 236/ च. -2/- 2003- 42 / 2003, दिनांक- 24.03.2003 का उलंघन कया गया था ।

b). Receipt other than User Charges के रूप में रु 36,350/- प्राप्त हुआ था, जिसको च कत्सा प्रबन्धन स मति के बैंक खाता में जमा कया गया था, जब क नियमानुसार इसको चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कया जाना चाहिए था । इस प्रकार उपरोक्त वत्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) का उलंघन कया गया था ।

c). कुल धनरा श रु 43,93,061/- प्राप्त हुये थे जब क इसके सापेक्ष रु 49,53,763/- {2462559(कोषागार)+ 2491204(सीपीएस)= 49,53,763} का जमा ट्रैंज़ैक्शन (deposit transaction) दर्शाया गया था । इस प्रकार रु 5,60,702/- अ धक जमा कया जाना स्पष्ट नहीं हो पाया । आगे, नियमों का पालन न कये जाने कारण प्राप्तियों हेतु चयनित माह 09.2012, 10.2013 एवं 08.2016 में कुल प्राप्ति एवं जमा का सत्यापन नहीं कया जा सका ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इं गत कये जाने पर च कत्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए क्रमशः कहा क **a).** अंतर का कारण पता कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा , **b).** निर्देशानुसार भ वष्य में अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी एवं **c).** वसंगति का पता कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा । आगे, यूजर चार्जेज को कोषागार में देर से जमा करवाने के संबंध में च कत्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आप त्त को स्वीकार करते हुए कहा क आगे से यूजर चार्जेज को कोषागार में यथाशीघ्र जमा करने की प्र क्रया सुनिश्चित की जायेगी । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क यूजर चार्जेज एवं अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त धनरा शयों रु 49.90 लाख {24,62,559(deposited on treasury) + 24,91,204(deposited in CPS A/c) + 36350(deposited on CPS A/c) =

49,90,113/-} का शासनादेश एवं नियमों का उलंघन करते हुये अनियमत ढंग से क्रयान्वयन गया था ।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर-</u>**3 :-** जननी सुरक्षा योजना के क्रयान्वयन में रु 133.68लाख का अनियमत भुगतान कया जाना ।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावत तिथ से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावत तिथ से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधकृत चकत्साधकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत कया जाना चाहिए ताक लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान कया जा सके <u>एवं</u> लाभार्थी को चकत्सालय से डस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराश का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात कया गया भुगतान अवैध माना जाएगा। As per the JSY guideline, cash incentive would be paid to ASHA in two instalment. 50 % of the incentive would be given as First instalment after discharge of the JSY beneficiary from the health centre provided ASHA or an equivalent worker having accompanied, stayed with the pregnant woman in the health centre for delivery; and the remaining 50% of the cash incentive would be given one month after delivery when BCG vaccine has been administered to the child and she has helped in post-natal care and registration of birth of the newborn.

कार्यालय चकत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुचना के अनुसार अवध 2012-13 से 2016-17 तक *जननी सुरक्षा योजना* के अंतर्गत कुल 6,877 लाभा र्थयों एवं आशाओं को क्रमशः रुपये 89.80 लाख एवं रुपया 43.88 लाख का भुगतान कया गया । अभलेखों की संवीक्षा में पाया गया क शत-प्रतिशत प्रकरणों में JSY कार्ड प्रसव के दिन भरे गये थे, अधकांश प्रकरणों में भुगतान प्रसव की तिथ से सात दिन से अधक की देरी से कया गया था। इसके अतिरिक्त सभी प्रकरणों में आशाओं को एक ही कश्त में भुगतान कया गया था। इस प्रकार माह अप्रैल 2005 से जननी सुरक्षा योजना के क्रयान्वित होने के बावजूद भी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अंतर्गत रुपया 133.68 लाख की धनराश का अनियमत व्यय कया गया ।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगत कये जाने पर चकत्सा अधीक्षक ने लेखापरीक्षा आपत्त को स्वीकार करते हुए कहा क भवष्य में गाइडलाइन का पालन कया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंक राज्य में योजना के कार्यान्वयन के 12 वर्ष (April 2005) बीत जाने के बाद भी चकत्साधकारी JSY की कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों के प्रति जागरुक नहीं एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमत रूप से लाभार्थओं को भुगतान कया जा रहा था ।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

<u>भाग-III</u>

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**	**TAN**
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी ।				

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी ।				

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-
अप्रस्तुत अ भलेखः शून्य

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया:

नाम	पदनाम	अव ध
डॉ0 संजय कुमार	च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर	04.2012 से 03.11.2016 तक
डॉ0 देवेश संह चौहान	च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर	04.11.2016 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति च कत्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसपुर, ऊधम संह नगर को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी,
सामाजिक क्षेत्र